निरीक्षण आख्या सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून के अवधि 01/2013 से 05/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनॉक 24.06.2016 से 28.06.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मक : इस इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है जिसमें माह 01/2013 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

इस अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती मानकी नेगी	दि0 01/2013 से 07/2014
2	डॉ0 शक्ति प्रसाद सेमवाल	दि0 12/2014 से लगातार

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः इस इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

(ब) सतत् अनियमिततायें: – शून्य–

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): –शून्य–

(द) 2.बजटः – (धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर		सर्मपण/अवशेष	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2012–13	53.31	23.55	0	0	29.75	0
2013–14	90.10	69.56	0	0	27.49	0
2014–15	97.65	63.09	0	0	40.90	0
2015–16	83.27	33.96	0	0	56.71	0

भाग 2 अ

प्रस्तर 1 : ` 79.88 लाख का अधिक भुगतान की वसूली नहीं करने के कारण ` 79.88 लाख की शासकीय धन की क्षति।

उत्तराखण्ड शासन गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के आदेश संख्या 26/1/21/2009 दिनांक 23 अक्टूबर 2009 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों/निगमों/परिषदों/आयोगों/समितियों/अभिकरणों/एजेन्सियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि पदों पर शासन द्वारा नियुक्त गैर सरकारी महानुभावों को वेतन एवं भत्ते के रूप में रू0 10,000 (निश्चित) अनुमन्य किया गया था। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया था। वित्त विभाग की सहमति का पत्रांक भी इसमें अंकित है।

बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नियुक्ति एवं वेतन/मानदेय से सम्बन्धित पत्रावली की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 21.12.2011 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री अजय सेतिया एवं सदस्य पद पर श्री अरूण गुप्ता की तैनाती शासन द्वारा की गई थी। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का था। तीन वर्ष पूरे करने पर दिनांक 21.12.2014 को ये दोनों पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो गये है। सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के आदेश संख्या 2569/17(4)/2011/230/11 टी0सी0 दिनांक 21.12.11 के द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री अजय सेतिया का वेतन एवं भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य एवं सदस्य श्री अरूण गुप्ता का वेतन/भत्ते राज्य के सचिव के समतुल्य निर्धारित कर दिया गया था, परन्तु इस आदेश में वित्त विभाग की सहमति के पत्र का संदर्भ अंकित नहीं था जिससे यह स्पष्ट है कि वित्त विभाग की सहमति इस विषय पर प्राप्त नहीं की गयी है। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–दो के नियम 7 के अनुसार वेतन सम्बन्धी आदेष बिना वित्त विभाग की सहमति के लागू नहीं किया जा सकता है। इस आदेश के जारी होने के बाद दिनांक 12.04.2012 को निदेषक बाल विकास के द्वारा सचिव, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण को एक पत्र लिखा गया जिसमे अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन भत्तों पर पुनर्विचार के बारे में कहा गया था इसी पत्र के संदर्भ में 10 माह बाद ही सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के पत्र संख्या 2463/17(4)/2012/230/11टी0सी0 दिनांक 8 अक्टूबर 2012 के द्वारा उपरोक्त आदेश 2569 दिनांक 21.12.11 इसमें बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य सदस्य को सचिव के समतुल्य वेतन के प्रावधान सहित, इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर यह निर्देश दिया गया था कि शासनादेश संख्या उत्तराखण्ड शासन गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के आदेश संख्या 26/1/21/2009 दिनांक 23 अक्टूबर 2009 के अनुसार अध्यक्ष को देय है तथा सदस्य को मानदेय मात्र ` 3000 देय है अर्थात वर्ष 2009 का आदेश लागू था क्योंकि वर्ष 2011 के आदेश में वित्त विभाग की सहमति का सन्दर्भ नहीं था। इसके पश्चात, उत्तराखण्ड शासन गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग संख्या 842/26/1/21/2012 दिनांक 09 अक्टूबर 2012 के द्वारा आदेश दिया गया था कि विभिन्न आयोगों/निगमों/परिषदों आदि में नियुक्त गैर सरकारी महानुभावों को सुविधाएं अनुमन्य किये जाने से सम्बंधित अनुमन्य किये जाने से सम्बन्धित समस्त विद्यमान नियमों/आदेशों को अतिक्रमित करते हुये तत्काल प्रभाव से ` 5000 प्रतिमाह मानदेय देय

किया गया था। इस आदेश में भी वित्त विभाग की सहमति पत्र का सन्दर्भ अंकित था। इसके बाद भी शासनादेश संख्या गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग संख्या 509/14/1/21/2012–15 दिनांक 4 जून 2015 के द्वारा अध्यक्ष को ` 10,000 प्रतिमाह मानदेय देय है। यह आदेश वर्तमान में लागू है। वर्तमान अध्यक्ष को ` 10,000 मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा वर्तमान सदस्यों को ` 3000 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है जबकि दिनांक 21.12.11 से दिनांक 21.12.14 तक की अवधि में उपरोक्त आदेशों को नहीं माना गया तथा जिस आदेश से अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन निर्धारित किया गया था उस आदेश में निरस्त होने के बाद भी अध्यक्ष को उनके कार्यकाल दिनांक 21.12.11 से 21.12.14 तक (तीन वर्ष) मानदेय/वेतन 12X3 X10000=360000 धनराशि देय थी परन्तु उनको वास्तविक ` 5309755 का भुगतान किया गया है अर्थात ` 5309755–360000= ` 4949755 अधिक भुगतान किया गया है। इसी तरह सदस्य को देय वेतन कुल अवधि तीन वर्ष 12X3 X3000=108000 देय था जबकि वास्तविक भुगतान ` 3146028 किया गया है, अर्थात देय वेतन/मानदेय से 3146028–108000=3038028 अधिक है। अर्थात श्री अजय सेतिया, अध्यक्ष एवं श्री अरूण गुप्ता सदस्य की नियुक्ति के पूर्व अथवा सेवा निवृत्ति के पश्चात तक के प्रावधानों के अनुसार श्री अजय सेतिया को ` 4949775 एवं श्री अरूण गुप्ता को ` 3038028 कुल ` 7987803 का अधिक भुगतान का प्रकरण है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुय उत्तर में बताया कि यह निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। वसूली की कार्यवाही न किए जाने के संदर्भ में पूछे जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड शानादेश संख्या 1192/XVII (4)/2011/230/10 दिनांक 10 मई 2011 के नियम 7 उपनियम 2 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन एवं भत्ते तथा सेवाशर्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष को ` 10,000 प्रतिमाह तथा सदस्य को 3000 प्रतिमाह निर्धारित था। वेतन निर्धारण गलत हो गया था उस आदेष को निरस्त भी कर दिया गया था अधिक भुगतान की गयी धनराषि की वसूली करनी चाहिए थी। अतः ` 79.88 लाख का अधिक भुगान की वसूली नहीं करने के कारण ` 79.88 लाख की शासकीय धन की क्षति का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 1 :– ` 8.19 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखना एवं रू0 1.26 लाख ब्याज की राशि को शासकीय खाते में जमा न किया जाना।

सर्व शिक्षा अभियान–शिक्षा का अधिकार के कियान्वयन हेतु संशोधित कार्यवृत्त में आर0ई0एम0एस0 मद के मानकानुसार उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ` 50.00 की धनराशि प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष की दर से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर बैठकों एवं सेमिनारों का आयोजन किया जाना, आयोग के पदाधिकारियों के भ्रमण के दौरान यात्रा भत्तों पर व्यय एवं भ्रमण हेतु किराये पर वाहन का प्रयोग, लैपटाप क्रय, स्टेशनरी, पत्रावलियां आदि क्रय पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

इकाई में आर0टी0ई0 फण्ड एवं बाल अधिकारों से सम्बन्धित की गयी संगोष्ठियों/सेमिनारों से सम्बन्धित पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2012–13 में मात्र 01 एवं वर्ष 2013–14 में 12 संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में काई भी संगोष्ठी/सेमिनार का आयोजन नहीं किया गया। जबकि प्रत्येक वर्ष इस मद में बजट का आबंटन किया गया है। माह, मई 2016 तक इस मद में ` 945173 (819118 अवशेष +126055 ब्याज की राशि) अवशेष हैं। विवरण निम्नवत है।

वर्ष	आबंटन	व्यय	अवशेष	ब्याज	संगोष्ठियों कीसंख्या
2012–13	894150	200286	696789	26429	01
2013–14	900000	961951	634838	24693	12
2014–15	262162	156077	740923	28534	शून्य
2015–16	163000	68.00	903855	36301	शून्य
2016–17 (5/2016)		84737	819118	10098	शून्य
योग			819118	126055	

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि आर0टी0ई0 खाते में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक कुल आबंटित राशि के विरूद्ध ` 126055 की ब्याज की प्राप्ति हुई है जिसे नियमानुसार मुख्य शीर्ष 0049 के लघु शीर्ष 103 में जमा किया जाना चाहिए था जबकि इस राशि को बैंक खाते में अवरूद्ध रखा गया है। साथ ही उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 में ही आबंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्ण राशि का व्यय किया गया वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में सेमिनार/संगोष्ठी पर कोई भी व्यय नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में आर0 टी0 ई0 फण्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाएगा एवं ब्याज की राशि को नियमानुसार जमा किया जायेगा।

अतः ` 8.19 लाख की राशि को अवरूद्ध रखने एवं ` 1.26 लाख ब्याज की राशि को शासकीय खाते में जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)